ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

भूखण्ड सख्या–1, सैक्टर के0पी0–IV, ग्रेटर नौएडा सिटी
जनपद गौतम बुद्ध नगर, उ0प्र0–201301

पत्रांकः–ग्रे.नौ. / GHS / 2022 / 352 दिनांकः– 14.09.2022

कार्यालय आदेश

ग्रुप हाउसिंग समितियों के अन्तर्गत कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र दिये जाने हेतु प्राधिकरण की 68वीं बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में ग्रुप हाउसिंग योजनाओं के अन्तर्गत आवंटित विभिन्न समितियों / स्टाफ हाउसिंग भूखण्डो को कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये निर्धारित समय अवधि के पश्चात एक्टिविटी–01 एवं 02 के लिये प्रथम 02 वर्षो तक 2.5 प्रतिशत प्रति छमाही, तृतीय वर्ष हेतु 3 प्रतिशत प्रति छमाही विलम्ब शुल्क के साथ समय वृद्धि प्रदान किये जाने का प्राविधान किया गया था। उक्त अवधि व्यतीत होने के पश्चात कोई भी नीति / प्राविधान नही था।

प्राधिकरण की 127वीं बोर्ड बैठक दिनांक 09.09.2022 में उपरोक्त विन्दु पर नीति निर्धारण हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। मा0 बोर्ड द्वारा उक्त प्रस्ताव पर प्रदान किये गये अनुमोदन के अनुसार ग्रुप हाउसिंग समितियों पर पूर्व मे निर्धारित विलम्ब शुल्क की समय अवधि समाप्त होने के पश्चात अग्रेतर समयवृद्धि प्रदान करने के संबंध में निम्नवत नीति निर्धारित की जाती है:–

"ग्रुप हाउसिंग समितियों पर पूर्व में निर्धारित विलम्ब शुल्क की समय अवधि समाप्त होने के पश्चात 04 प्रतिशत प्रति छमाही लेते हुए कार्यालय आदेश जारी होने की तिथि से आगामी 02 वर्ष तक विलम्ब शुल्क लेते हुए सभी ग्रुप हाउसिंग समितियों को समय विस्तरण दे दिया जायें।"

उपरोक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जायें।

ACEO (D)
14/09/2022
(दीप चन्द्र)
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपिः–

1. स्टॉफ ऑफीसर को मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. महाप्रबन्धक / प्रभारी (ग्रुप हाउसिंग / नियोजन), ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण।
3. प्रबन्धक (सिस्टम) को प्राधिकरण की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
4. गार्ड फाईल।

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

property/GHS0700001/2016/43 9/14/202